

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू



एमसीआईआर



खण्ड XV | अंक 6 | दिसंबर 2019

I. रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली 24 x 7 आधार पर उपलब्ध कराई

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 06 दिसंबर 2019 को घोषणा की कि 16 दिसंबर 2019 से 24 x 7 आधार पर राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस संबंध में पहला निपटान 16 दिसंबर, 2019 को 00:30 बजे के बाद हुआ। यह प्रणाली वर्ष के सभी दिनों में उपलब्ध होगी, जिसमें छुट्टियां भी शामिल हैं। प्रति दिन आधे घंटे के 48 बैच होंगे। ऐसा अपेक्षित है कि बैंकों के सामान्य बैंकिंग समय के उपरांत एनईएफटी लेनदेन बैंकों द्वारा आरंभ किए गए स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) मोड का उपयोग करते हुए स्वचालित लेनदेन होंगे। लाभार्थी के खाते में क्रेडिट करने अथवा प्रवर्तक बैंक को लेन-देन वापस करने के लिए विद्यमान वर्तमान अनुशासन (संबंधित बैच के निपटान के 2 घंटे के भीतर) जारी रहेगा। एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों के सभी प्रावधान एनईएफटी 24 x 7 लेनदेन के संबंध में भी लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने हेतु यहाँ [क्लिक](#) करें।

प्रभारों को समाप्त करना – राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली

डिजिटल रिटेल भुगतानों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 16 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली पर प्रभारों को समाप्त कर दिया। तदनुसार, 1 जनवरी 2020 से सदस्य बैंक अपने बचत बैंक खाताधारकों से एनईएफटी के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने वाले धन अंतरण के लिए कोई भी शुल्क नहीं लेंगे। विस्तार से पढ़ने हेतु यहाँ [क्लिक](#) करें।

चलनिधि सहायता सुविधा – एनईएफटी 24 x 7

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 दिसंबर 2019 को चलनिधि सहायता (एलएस) अर्थात् 24 x 7 परिवेश की पृष्ठभूमि में रिज़र्व के साथ सदस्य बैंकों के खातों में एनईएफटी लेनदेन के सुचारू निपटान के लिए अतिरिक्त संपार्श्विक अंतर-दिवसीय (इंट्रा-डे) चलनिधि सुविधा (आईडीएलएफ) प्रदान करने का निर्णय लिया। एलएस सुविधा 24 x 7 आधार पर एनईएफटी निपटान की सुविधा के लिए उपलब्ध है। यह आईडीएलएफ के समान नियम और शर्तों के अनुसार संचालित है। आईडीएलएफ के लिए पात्र सभी सदस्य बैंक, एलएस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर एलएस सुविधा की सीमा निर्धारित की जाएगी। एलएस सुविधा के तहत आहरण को पात्र आईडीएल सीमा के हिस्से के रूप में माना जाता है और एलएस सुविधा पर मार्जिन आवश्यकता आईडीएल सुविधा के समान होगी। अब तक अंतर-दिवसीय (इंट्रा-डे) चलनिधि के मौजूदा अनुदेश और आईडीएल के प्रत्यावर्तन लागू रहेंगे। रिज़र्व बैंक योजना के संचालन में प्राप्त अनुभव के आधार पर सुविधाओं की समीक्षा कर सकता है।

अतिरिक्त स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ विंडो

पात्र बाज़ार प्रतिभागियों को 24 x 7 एनईएफटी वातावरण के आधार पर अधिक लचीलापन देने और उनका चलनिधि प्रबंधन सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरिम उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक ने 13 दिसंबर 2019 को प्रत्येक दिन एक अतिरिक्त स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ विंडो उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। प्रत्येक दिन एक अतिरिक्त स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ विंडो निम्नानुसार तालिका में सूचित किया गया है:

परिचालन का प्रकार	समयावधि
स्थिर दर प्रतिवर्ती रेपो	23:00 बजे से 23:59 बजे तक
एमएसएफ	23:00 बजे से 23:59 बजे तक

इन परिचालनों का प्रत्यावर्तन एलएफ़ परिचालन के साथ किया जाता है। विस्तार से पढ़ने हेतु यहाँ [क्लिक](#) करें।

विषयवस्तु

अनुभाग	पृष्ठ
i. रिज़र्व बैंक ने एनईएफटी प्रणाली को 24 x 7 कर दिया	1
ii. मौद्रिक नीति	2
iii. विनियमन	2
iv. पर्यवेक्षण	3
v. भुगतान एवं निपटान प्रणाली	4
vi. सरकार के लिए बैंक	4
vii. जारी रिपोर्ट	4
viii. जारी आंकड़े	4



संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका माह दिसंबर में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को <https://mcir.rbi.org.in> से एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं। हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

II. मौद्रिक नीति

पांचवीं द्वि-मासिक मौद्रिक नीति घोषणा, 2019-20

श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर ने मुंबई में 05 दिसंबर 2019 को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पांचवीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की।

मौद्रिक नीति समिति ने पॉलिसी रेपो दर को 5.15 प्रतिशत पर रखने का निर्णय लिया है। परिणामस्वरूप, एलएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 4.90 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर तथा बैंक दर 5.40 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखे जाएंगे।

एमपीसी के सभी सदस्य - डॉ. चेतन घाटे, डॉ. पामी दुआ, डॉ. रविंद्र एच. ढोलकिया, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री बिभू प्रसाद कानूनगो और श्री शक्तिकांत दास ने निर्णय के पक्ष में मतदान किया।

एमपीसी की बैठक के मिनट 19 दिसंबर, 2019 को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए थे। यहां [क्लिक](#) करके उन्हें एक्सेस किया जा सकता है।

एमपीसी की अगली बैठक 04-06 फरवरी, 2020 के दौरान निर्धारित की गई है।

III. विनियमन

निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को 'मांग पर' लाइसेंस

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 दिसंबर 2019 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों को 'मांग पर' लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। लघु वित्त बैंकों को जारी पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों में प्रमुख परिवर्तन निम्नानुसार हैं :

- लाइसेंस विंडो मांग पर खोली जाएगी;
- न्यूनतम चुकता वोटिंग इक्विटी पूंजी / निवल मालियत आवश्यकता ₹ 200 करोड़ होगी;
- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक (यूसीबी) जो लघु वित्त बैंक (एसएफबी) में स्वेच्छा से परिवर्तन के इच्छुक हैं, के लिए निवल मालियत की प्रारंभिक आवश्यकता ₹ 100 करोड़ होगी, जिसे व्यवसाय शुरू करने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर बढ़ाकर ₹ 200 करोड़ करना होगा। संयोग से, परिचालन में वर्तमान के सभी एसएफबी की कुल संपत्ति ₹ 200 करोड़ से अधिक है;
- एसएफबी को परिचालन शुरू होने पर तुरंत अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया जाएगा;
- एसएफबी को परिचालन शुरू करने की तारीख से बैंकिंग आउटलेट खोलने की सामान्य अनुमति होगी;
- भुगतान बैंक परिचालन के पाँच वर्षों के बाद एसएफबी में रूपांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, यदि वे इन दिशानिर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र हैं। रिज़र्व बैंक ने अंतिम बार 27 नवंबर 2014 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहां [क्लिक](#) करें।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी संबंधी मास्टर दिशानिर्देश - पीयर टू पीयर लेंडिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 दिसंबर, 2019 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (पी 2 पी) (रिज़र्व बैंक) मास्टर दिशा-निर्देश, 2017 की समीक्षा की। उसमें किए गए परिवर्तन इस प्रकार हैं:

- किसी भी समय किसी ऋणदाता का सभी पी2पी प्लेटफॉर्म पर सकल एक्सपोजर की उच्चतम सीमा ₹ 50,00,000 तक सीमित होगी बशर्ते कि पी2पी प्लेटफॉर्म पर ऋणदाता के ये निवेश उनके निवल मालियत के अनुरूप हों।
- निधियों के अंतरण के लिए, बैंक प्रायोजित न्यास द्वारा संचालित एसक्रो खातों के लिए जरूरी नहीं है कि खाते उसी बैंक में रखे जाएं जिसने न्यास को प्रायोजित किया है।

अद्यतित मास्टर दिशानिर्देश को यहां [क्लिक](#) करके देखा जा सकता है।

आईबीयू के लिए रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश को संशोधित किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 23 दिसंबर, 2019 को आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) से संबंधित रिज़र्व बैंक के निर्देशों को संशोधित किया। संशोधित निर्देशों के अनुसार:

- आरबीआई बैंकों से अल्पकालिक देयताएँ जुटाने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं करेगा। तथापि आईबीयू को भारतीय बैंकों पर स्टैंड अलोन आधार पर लागू एलसीआर बनाए रखना होगा और आरबीआई द्वारा बैंकों को जारी चलनिधि जोखिम प्रबंध दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
- आईबीयू को बचत खाता खोलने की अनुमति नहीं होगी। वे आईएफएससी में परिचालित इकाइयों और अनिवासी संस्थागत निवेशकों के निवेश लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए उनका विदेशी मुद्रा चालू खाता खोल सकते हैं। वे अपने कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं के एसक्रो खातों सहित विदेशी मुद्रा चालू खाते भी कतिपय के प्रावधानों के तहत खोल सकते हैं।
- तथापि आईबीयू खुदरा ग्राहकों, जिसमें उच्च निवल मालियत वाले व्यक्ति (एचएनआई) शामिल हैं, से कोई देयता नहीं जुटा सकते। साथ ही आईबीयू में चालू खाता धारकों के लिए चेक सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इन खातों से सभी लेनदेन बैंक अंतरण के माध्यम से किए जाने होंगे।
- आईबीयू गैर-बैंक संस्थाओं से एक वर्ष से कम अवधि के विदेशी मुद्रा मीयादी जमा स्वीकार कर सकता है और किसी भी समयावधि प्रतिबंध के बिना मीयादी जमा को परिपक्वता से पहले चुका भी सकता है।
- आईबीयू को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) और अन्य धन-शोधन निवारण अनुदेशों का ध्यानपूर्वक पालन करना होगा। संशोधित निर्देशों की अद्यतन प्रति पढ़ने के लिए, कृपया यहां [क्लिक](#) करें।

सीआरआईएलसी को वृहद ऋणों की सूचना - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2019 को सूचित किया कि

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक जिनकी कुल परिसंपत्ति विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत खातों सहित पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक थी, वे केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) को वृहद ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करेंगे।

संबंधित यूसीबी के पास ₹ 5 करोड़ या उससे अधिक समग्र एक्सपोजर वाले सभी उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण सूचना पर एसएमए डाटा रिपोर्ट किया जाए। शहरी सहकारी बैंकों को 31 दिसंबर, 2019 से त्रैमासिक आधार पर रिपोर्ट रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए सीआरआईएलसी को प्रस्तुत करना होगा।

शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक को बड़े क्रेडिट पर सूचना/आंकड़े प्रस्तुत करते समय आंकड़ों की सटीकता और प्रामाणिकता के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें, जिसका अनुपालन न किए जाने पर उनके खिलाफ बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विस्तार से पढ़ने हेतु यहाँ [क्लिक](#) करें।

प्राथमिक यूसीबी के लिए बड़े एक्सपोजर और पीएसएल लक्ष्य में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2019 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एकल और समूह उधारकर्ताओं / पार्टियों एवं बड़े एक्सपोजर के लिए एक्सपोजर की सीमा तथा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण के लक्ष्यों में संशोधन पर मसौदा परिपत्र फीडबैक / सुझावों के लिए जारी किया। परिपत्र में कहा गया है कि यूसीबी हेतु एकल उधारकर्ता/पार्टी और जुड़े हुए उधारकर्ताओं/पार्टियों के समूह के लिए विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं उनकी टीयर I पूंजी की क्रमशः 10% और 25% होगी बशर्ते उनके ऋण पोर्टफोलियो के कम से कम 50% हिस्से में प्रति उधारकर्ता/पार्टी के लिए ₹ 25 लाख से अधिक का ऋण शामिल नहीं होगा। इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया है कि 31 मार्च 2023 को यूसीबी के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण और अग्रिम का लक्ष्य, समायोजित निवल बैंक ऋण का 75% या तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर की ऋण समतुल्य राशि, जो भी अधिक है, तक बढ़ जाएगा। यूसीबी को उपरोक्त मानदंडों / सीमाओं / लक्ष्यों के अनुपालन के लिए एक उपयुक्त ग्लाइड पथ प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त उपायों से यूसीबी के ऋण संकेन्द्रण जोखिम के कम किए जाने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मसौदा परिपत्र पर टिप्पणियाँ 20 जनवरी 2020 तक निम्नलिखित पते पर प्रेषित की जा सकती हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

प्रतिभूति लेनदेन पर एनबीएफसी के लिए दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 दिसंबर, 2019 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 30 जून, 2020 तक प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर प्रदान की गई छूट को बढ़ा दिया है। इससे पहले, 31 दिसंबर, 2019 तक वितरण बढ़ाया गया था। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में प्रबंधन बोर्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 दिसंबर 2019 को शहरी सहकारी बैंकों में निदेशक मंडल (बीओडी) के अलावा एक प्रबंधन बोर्ड (बीओएम) से युक्त एक नए संगठनात्मक ढांचे के सुझाव को कार्यान्वित किया।

श्री वाई. एच. मालेगाम की अध्यक्षता में नए शहरी सहकारी बैंक के लाइसेंसिंग संबंधी विशेषज्ञ समिति, 2011ने यूसीबी में बीओएम के गठन का सुझाव दिया था। दिशानिर्देशों में बताया गया है कि वेतन प्राप्त करने वाले बैंकों के अलावा ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक की जमा राशि आकार वाले यूसीबी के बीओडी बीओएम का गठन करेंगे। ऐसे बैंकों के लिए अपने संचालन क्षेत्र के विस्तार और / या नई शाखाएं खोलने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बीओएम का गठन अनिवार्य होगा।

इन यूसीबी को अपने सीईओ की नियुक्ति के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी। विस्तार से पढ़ने हेतु यहाँ [क्लिक](#) करें।

IV. पर्यवेक्षण

थर्ड पार्टी एटीएम स्विच एप्लिकेशन सेवा प्रदाताओं के लिए साइबर सुरक्षा नियंत्रण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 दिसंबर 2019 को सूचित किया कि रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाएं (आरआई) यह सुनिश्चित करेंगी कि इनके और थर्ड पार्टी एटीएम स्विच एएसपी के बीच हुए संविदा करार में इसे जरूर अपरिहार्य बनाया जाए कि थर्ड पार्टी एटीएम स्विच एएसपी, अनुबंध में दिए गए साइबर सुरक्षा नियंत्रणों का निरंतर आधार पर अनुपालन करें। उन्हें यह भी अधिदेश दिया गया है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को एक्सेस प्रदान करें। निर्धारित साइबर सुरक्षा नियंत्रणों तक एक्सेस हेतु यहाँ [क्लिक](#) करें।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 दिसंबर, 2019 को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा तैयार किया।

ढांचे के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों को उनके डिजिटल अनुप्रयोग की सीमा और भुगतान प्रणाली व्यवस्था से परस्पर संबंधों के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। शहरी सहकारी बैंक मानदंडों के आधार पर जिस स्तर में फिट होते हैं, उस स्तर का स्व-आकलन करेंगे और 31 दिसंबर 2019 से 45 दिनों के भीतर, भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग को इसकी रिपोर्ट करेंगे।

बोर्ड एक प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना सुरक्षा प्रशासन सुनिश्चित करने में एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

V. भुगतान एवं निपटान प्रणाली

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) प्रणाली

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 दिसंबर 2019 को सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों और लिखतों [गैर-बैंक पीपीआई, कार्ड और यूनिकाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)] को फास्टैग्स के साथ जोड़ने की अनुमति प्रदान की जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किया जाता है। यह निर्णय ग्राहकों को भुगतान के अधिक विकल्प की अनुमति प्रदान करने के माध्यम से इस प्रणाली के आधार को और अधिक व्यापक बनाने के लिए और साथ ही साथ प्रणाली प्रतिभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। एनईटीसी प्रणाली में लेनदेन, प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) और / अथवा लेनदेन पूर्व सूचना / चेतावनी के बिना किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

नए प्रकार के सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) का आरंभ किया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2019 को छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतानों एवं वर्धित उपयोगकर्ता अनुभव को प्रोत्साहन देने के लिए नए प्रकार के सेमी-क्लोज्ड प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) का आरंभ किया। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

VI. सरकार के लिए बैंकर

ई-कुबेर में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 दिसंबर 2019 को अपने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) - ई-कुबेर प्लेटफ़ॉर्म पर जी-सेक नीलामी में बाज़ार के प्रतिभागियों की फ़ैट फ़िंगर, बिग फ़िंगर की गलतियों से बचने के लिए “मूल्य/ प्रतिफल रेंज सेटिंग” सुविधा विकसित की। यह प्रतिभागियों को उन बोलियों के लिए अधिकतम और न्यूनतम मूल्य (रेंज) निर्धारित करने की अनुमति देता है जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं और इसे नीलामी से पहले सेट किया जा सकता है और नीलामी के दौरान संशोधित भी किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ [क्लिक](#) करें।

आरबीआई वर्किंग पेपर्स

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर वर्किंग पेपर शृंखला के तहत दो शोध पत्र जारी किए। एक शोध पत्र अवीजीत माजी द्वारा सी- डाइवर्जेंस पर आधारित रोबस्ट वॉलड-टाइप टेस्ट सांख्यिकी विषय पर लिखा गया है और दूसरा अर्चना दिलीप द्वारा अमेरिका से भारतीय बाजारों के लिए टर्म प्रीमियम स्पिलओवर पर लिखा गया है। शोध पत्र यहाँ [क्लिक](#) करके पढ़े जा सकते हैं।

VII. जारी रिपोर्ट

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 दिसंबर 2019 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 20वां अंक जारी किया। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2018-19

रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर, 2019 को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों का आउटलुक 2018-19 शीर्षक से वार्षिक प्रकाशन की 6वां खंड जारी किया। प्रकाशन वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के वित्तीय खातों को कवर करता है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2018-19

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 दिसंबर 2019 को बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 36 (2) के अनुपालन में एक सांविधिक प्रकाशन भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति रिपोर्ट - 2018-19 जारी किया। यह रिपोर्ट 2018-19 और 2019-20 की अब तक की अवधि के दौरान सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं सहित बैंकिंग क्षेत्र के कार्यनिष्पादन को प्रस्तुत करती है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कृपया यहाँ [क्लिक](#) करें।

VIII. रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आंकड़े

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2019 के महीने में सूचीबद्ध आंकड़े जारी किए।

	जारी आंकड़े	दिनांक
i	विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन संबंधी रिपोर्ट	20/12/2019
ii	भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएँ: 2018-19	24/12/2019
iii	भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), सितंबर-2019	31/12/2019
iv	भारत के भुगतान संतुलन में गतिविधियां	31/12/2019
v	भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन के स्रोत	31/12/2019